कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा म0प्र0

//विज्ञप्ति//

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय रीवा के प्रतिलिपि अनुभाग, जिला मुख्यालय रीवा एवं तहसील न्यायालय मउगंज, त्यौंथर, सिरमौर, मनगंवा एवं हनुमना जिला रीवा में प्राईवेट फोटोकॉपियर मशीन स्थापित किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति इस स्थापना या तहसील न्यायालयों पर फोटोकॉपियर मशीन स्थापित किये जाने हेतु इच्छुक हो, वे कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा में कार्य दिवस के दौरान उपस्थित होकर निविदा की आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तों के अनुसार निविदा दिनांक **15.06.2025** को शाम 05:00 बजे तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के कार्यालय में जमा कर सकते हैं, नियत समय अवधि उपरांत प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के मेमो क्रमांक–443 दिनांक 14.08.2013 के द्वारा निर्धारित निविदा की नियमों एवं शर्तों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार आधिकारिक पोर्टल पर देखा जा सकता हैः–

01. जिला न्यायालय, रीवा की आधिकारिक बेवसाईड https://rewa.dcourts.gov.in/tenders
02. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के अधिकारिक बेवसाईटः– www.mphc.gov.in ij tenders टैब अंतर्गत।

उक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं को दिनांक **25.06.2025** को शाम 05:30 बजे निविदाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थित में खोला जावेगा।

19.5.25

हेतु–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा म.प्र.

कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा म0प्र0

मान्नीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के मेमो कमांक reg(IT)(SA)/2024/938 जबलपुर दिनांक 02.07.2024 के निर्देशानुसार जिला स्थापना रीवा में प्रतिलिपि कार्य के लिए नियम एवं शर्तेः–

01. निविदाकार द्वारा कमशः तकनीकी, वित्तीय एवं एफ0डी0आर0 के बंद लिफाफे, सीलबंद निविदा पूर्ण रूप से भरी हुई 10000/–रूपये (दस हजार रूपये) की बैंक गारंटी के साथ जो कि एफ.डी.आर या डिमांड ड्रॉफट के रूप में हो एवं 06 माह की अवधि के लिए वैध हो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा में आवश्यक रूप से दिनांक **15.06.2025** समय शाम 05:00 बजे तक जमा हो जानी चाहिए, अपूर्ण/शर्ते/देरी से प्रस्तुत निविदा अथवा बिना बयाने की राशि के अथवा बिना किसी कर/लागत के समावेश की निविदाएं निरस्त की जावेगी।

02. निविदांये दिनांक **25.06.2025** समय शाम 05:30 बजे निविदाकर्ताओं के प्रतिनिधिओं के उपस्थित में खोली जाये, उद्भूत दरों, नियमों में कोई ओव्हरराईटिंग, परिवर्तन, संशोधित नहीं होना चाहिए, सभी संलग्न अनुलग्न–एक में मोहर के साथ विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए।

03. जिसकी निविदा चुनी जायेगी उसे संस्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस में परफॉरमेंस गांरटी के रूप में पांच प्रतिशत संभावित अनुबंध राशि की बैंक गांरटी एफ.डी. आर/अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के पक्ष में देनी होगी। परफॉरमेंस सुविधा निधि अनुबंध के समाप्त होने के दिन से 60 दिनों के लिए वैध होगी, जिसमें वारंट/त्रुटि उत्तरदायित्व यदि हो भी शामिल होंगे।

04. संस्था द्वारा प्रति कॉपी की दर के हिसाब से समस्त करों एवं शासकीय देयकों को सम्मिलित कर प्रदाय की जावेगी। एक पेज के एक तरफ की प्रति/एक पेज के दोनों तरफ की प्रति दोनों के लिए पृथक से दर आवश्यक रूप से दर्शायी जानी चाहिए।

05. फोटोकॉपी मशीन जिला न्यायालय परिसर रीवा एवं तहसील न्यायालय मउगंज,त्यौंथर, सिरमौर,मनगंवा एवं हनुमना जिला रीवा में निर्देशानुसार स्थापित करनी होगी। कार्यालय समय में फोटोकॉपी मशीन की उपलब्धता को ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा।

06. दर का अनुबंध, दर अनुबंध/कार्य आदेश की अधिसूचना दिनांक से कम से कम एक वर्ष से लिए वैध होगा। सेवा में संतुष्टि के आधार पर अनुबंध का समय प्रतिवर्ष के हिसाब से समान नियम एवं शर्तों पर प्रतिवर्ष अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बढाया जा सकता है।

07. कोई अग्रिम संदाय नहीं किया जावेगा। अनुबंध की अवधि में दरों में परिवर्तन नहीं किया जावेगा एवं नियमानुसार कर काटा जायेगा। सिर्फ संवैधानिक देयकों जो कि शासन द्वारा अधिसूचना/नियमों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, को छोड़कर अनुबंध की अवधि में दर की संरचना में परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अतः संस्था जो कि निर्धारित राशि एक वर्ष के लिए प्रभावी रख सकें वहीं आवेदन करें।

08. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के निर्देशानुसार मशीनों की संख्या कार्य अनुसार जरूरत के हिसाब से कम अथवा ज्यादा की जा सकती है, परंतु ठेकेदार के बिना रूकावट के कार्य को संपन्न करना होगा। अतिरिक्त व्यक्ति की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे की कार्यालय के कार्य रूकावट न हो।

09. परिवहन शुल्क एवं अन्य कोई शुल्क देय नहीं होगा।

10. ठेकेदार फोटोकॉपी मशीन के रखरखाव के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, स्टेशनरी जैसे उत्तम गुणवत्ता वाले कागज 75 जी.एस.एम टोनर, स्टेप्लर पिन और अन्य लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जावेगी। फोटोकाफी मशीन को चलाने के लिए पर्याप्त व्यक्ति को रखने की

तथा उन पर होने वाले व्यय का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

11. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फोटोकाफी कार्य कार्यालय में आसानी से हो सके और कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न हो अगर कार्य में रूकावट होगी तो 500/—रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी, इसके अतिरिक्त फोटोकॉपी के कार्य में बाजार से ज्यादा मूल्य आने पर यह राशि लंबित बिलों/संस्था की परफॉरमेंस सुरक्षा निधि से काटी जावेगी।

12. आदेशित कार्य को पूरा करने के लिए जिस फोटोकाफी मशीन की स्थापना की जानी है वह एक वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और ठेकेदार को उक्त मशीन के मॉडल/वर्ष के सत्यापन हेतु क्रय की गई मशीन का बिल प्रस्तुत करना होगा।

13. संस्था द्वारा लगाई जाने वाली फोटोकॉपी मशीन के बनावट और मॉडल की जानकारी सर्विस टैक्स प्रमाण टिन नंबर और केन्द्रशासित मंत्रियों/अन्य सरकारी कार्यालय/अंडरटेकिंग या अन्य प्रतिष्ठित संस्था जिनको की ठेकेदार द्वारा फोटोकॉपी की आउटसोर्सिंग प्रदान की गई हो के प्रमाण के दस्तावेज तथा संतुष्टि पूर्ण कार्य की रिपोर्ट, पूर्ण विवरण जैसे पता, ऐसे व्यक्ति का नाम संपर्क किया जा सके, इस निविदा के साथ उक्त दस्तावेज संलग्न किये जाने चाहिए।

14. यह ठेकेदार का दायित्व होगा कि न्यायालय के दस्तावेज किसी अनाधिकृत व्यक्ति तक न पहुंच पाये, इस शर्त के उल्लघंन पर कठोर परिणाम भुगतने होगे और अनुबंध बिना किसी सूचना के ई.एम.डी./निष्पादन प्रतिभूति और लंबित बिलों को छोड़र समाप्त किया जा सकेगा।

15. अनुबंध के निष्पादन के दौरान ठेकेदार उसके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सामग्री की उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। ठेकेदार के कोई भी भ्रष्ट या कपटपूर्ण कार्य करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और निष्पादन प्रतिभूति को जब्त किया जा सकेगा और उसे ब्लेक लिस्ट किया जाकर उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

16. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना उपपट्टे को अमान्य किया जावेगा।

17. अनुबंध के निष्पादन के दौरान यदि किसी की मृत्यु या दुर्घटना अथवा भौतिक संपत्ति की हानि होती है तो दी गई छूट के अतिरिक्त समस्त जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

18. जिला न्यायालय केवल विद्युत एवं खाली जगह की सुविधा ठेकेदार को बिना किसी शुल्क के प्रदाय करेगा अन्य कोई सुविधा प्रदान नहीं करेगा।

19. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा या ठेकेदार एक माह पूर्व सूचना देकर अनुबंधों को समाप्त कर सकते है यदि कोई भी पक्ष अनुबंध की शर्त की उल्लंघन करता है।

20. ठेकेदार या उसके स्टॉफ के किसी सदस्य के द्वारा जानबूझकर या अन्यथा कार्य की गुणवत्ता में कोई गंभीर त्रुटि की जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

21. यदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है या ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है तो वे 24 घंटे के अंदर उसमें सुधार करने का नोटिस दे सकते है और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वे उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने के साथ उचित कदम उठा सकते हैं।

22. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश केवल ठेकेदार द्वारा की गई फोटोकॉपी का ही मूल्य अदा करेंगे। यदि अनुबंध के किसी शर्तों का उल्लंघन होता है या दिया गया कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अनुबंध में वर्णित अन्य उपचार को सुरक्षित रखते हुये 500/—रूपये प्रति घटना/प्रतिदिन के हिसाब से लंबित बिलों से अनुबंध राशि अधिकतम दस प्रतिशत राशि

काटी जा सकेगी तथा उसे उसके कार्य का मूल्य देने से इंकार भी किया जा सकेगा यदि पृष्ठ या प्रिटिंग इत्यादि संतोषजनक न हो।

23. अनुबंध का निष्पादन ठेकेदार की जिम्मेदारी है और स्थल पर कार्य की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होगी।

24. अनुबंध के दौरान केन्द्र सरकार और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित तथा भविष्य में अधिसूचना द्वारा श्रम अधिनियम के अंतर्गत पारित किये जाने वाले समस्त नियम अधिनियमों को अनुबंधकर्ता पूर्ण समय पालन करेगा यदि ठेकेदार के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके कार्य से किसी नियम या अधिसूचना द्वारा संशोधित अधिनियम का उल्लघंन किये जाने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है तो वह नियोक्ता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को क्षतिपूर्ति देगा।

25. अनुबंध के दौरान ठेकेदार के किसी कार्य या लापरवाही से जिला न्यायालय की किसी संपत्ति की क्षति होती है या चोरी होती है तो ठेकेदार को उसे अपने स्वयं से पूर्ति करना होगा।

26. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को पूर्णतः बिना कोई कारण बतायें निरस्त कर सकेंगे।

27. यदि दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध को लेकर कोई विवाद होता है तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न किया जायेगा, परन्तु बातचीत से कोई हल न निकल पाने की स्थिति में उसे एकमात्र मध्यस्थ जो कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा होगे के समक्ष रखा जायेगा और उनके द्वारा लिया गया अधिनिर्णय/निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर लागू होगा। मध्यस्था की कार्यवाही पंचाट और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत की जावेगी।

19.5.25

हेतु–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा म.प्र.

OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT & SESSION JUDGE REWA (M.P)

//ANNEXURE-1//

LIMITED TENDER PERFORMA FOR OUTSOURCE PHOTOCOPY WORK

1- Rate Quotaition of the Tender (INCLUSIVE OF TAXES)

Sr. No	Particulars	Rate per Copy with paper (A4 Size JK/Orient/Century/bilt Matrix Boand paper, 75 gsm)	Rate per Copy with paper (Legal Size JK/Orient/Century/bilt Matrix Boand paper, 75 gsm)
01	Single side photocopy on one sheet		
02	Photocopy on back to back side on one sheet		

2– Machine Model No. and Make..

3- Earnest money details :

..................................date..............................for..

Rs. 10.000/- Name of Bank...

4. PAN NO..

5. TIN NO...

The terms and conditions of the tender are acceptable to me us.

Signature.................................

Name & Address with seal & Date...

Phone(O)........................(R)...............................Mob ....

परिशिष्ट 'स'

स्वप्रमाणित फोटो

(के.वाय.सी.) चयनित आउटसोर्स कर्मचारी के लिए आवेदन प्रारूप

1. व्यक्तिगत विवरण

1	आवेदक का पूरा नाम (हिंदी में)		
2	आवेदक का नाम (अंग्रेजी में)		
3	पिता/पति का नाम		
4	महिला/पुरुष/ (सही चिन्ह लगाएं)	महिला	पुरुष
5	जन्मतिथि (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	दिन ....माह..........वर्ष	
6	आधार कार्ड नम्बर		
7	ईमेल		
8	मोबाइल/व्हाट्सअप नंबर		
9	ईपीएफ/यूएएन नंबर (यदि है) (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)		
10	ईएसआईसी नंबर (यदि है या था)		
11	प्राथमिकता वाले जिले, जहां कार्य करने के इच्छुक हैं ...	1) .... 2) .... 3) .... 4)	

2. विस्तृत पता (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

12	पत्राचार का पता	
13	स्थायी पता	

3. शैक्षणिक योग्यता (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र	डिग्री/डिप्लोमा नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विवि	कॉलेज/इंस्टीट्यूट	प्राप्तांक/प्रतिशत

4. तकनीकी योग्यता, **अतिरिक्त कौशल** (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

कम्प्यूटर ज्ञान		पीजीडीसीए		डीसीए		सीपीसीटी	
अन्य विशेष		एमएस आफिस		हिंदी टंकण गति		इंग्लिश टायपिंग स्पीड	

5. अनुभव विवरण (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र	संस्था का नाम	पदनाम	कब से	कब तक	अवधि/वर्ष	वेतन/मानदेय

6. बैंक विवरण (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

बैंक का नाम	
बैंक खाता नंबर	
आई.एफ.एस.सी. कोड	
बैंक शाखा नंबर	
बैंक ब्रांच नाम, पता	

7. संलग्न दस्तावेज/कागजात/प्रपत्र विवरण

क्र	दस्तावेज का नाम	संलग्न अनुलग्नक क्रमांक
1	पुलिस सत्यापन (अनिवार्य)	

8. अन्य कोई आवश्यक सम्बंधित जानकारी जो देना चाहे

घोषणा–पत्र/सत्यापन

एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे ज्ञान एवं विवके अनुसार जो भी जानकारी दी जा रही है वह पूरी तरह से सत्य एवं सही है। यदि उपरोक्त आवेदन अनुसार जानकारी असत्य/गलत पाई जाती है तो मेरी नियुक्ति निरस्त करने का आपको पूरा अधिकार होगा। मैं वचन देता/देती हूं और स्वीकार करता/करती हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्त कर लिया जाता है, तो मेरी नियुंक्ति समाप्त कर दी जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

स्थान हस्ताक्षर ....

दिनांक नाम ....

NAME OF THE DEPARTMENT :	
JOB DESCRIPTION	
JOB TITLE	
QUALIFICATION	
EXPERIENCE	
ROLE AND RESPONSIBILITY	
KEY SKILLS	
LOCATION	
SALARY	
TENURE	
DATE OF JOINING	

कृपया आउटसोर्स कर्मचारियों से सम्बंधित कार्य विवरण सारणी विभाग द्वारा पूरी भरकर भेजें ताकि आपको वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जा सके।

SIGNATURE:

NAME OF THE PERSON GIVING INFORMATION:

DESIGNATION:

DATE:

Email

Mobile No.

परिशिष्ट "द"

1.	विवरण	:	चयनित आउटसोर्स कर्मचारी का विवरण
2.	केवायसी दस्तावेज	:	अभ्यार्थी का पूर्ण के.वाय.सी. (नो योर कस्टमर : आवेदक की पहचान एव पते सम्बंधी प्रमाण) स्वप्रमाणित, आधार कार्ड, शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता सम्बंधी प्रमाण–पत्र (स्वप्रमाणित), दो पासपोर्ट आकार के फोटो, अनुभव प्रमाण–पत्र (आवेदित पद अनुसार)
3.	बैंक स्टेटमेंट	:	बैंक पासबुक (जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी का नाम, एकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आदि स्पष्ट समझ आते हों) प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति (स्वप्रमाणित)
4.	वेरीफिकेशन	:	पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट (शीघ्र सत्यापन संभव न होने की स्थिति में नियुक्त होने के 10 दिवस के भीतर पुलिस सत्यापन प्रस्तुत किया जाएगा।)